भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1409

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन

1409 श्री अजय प्रताप सिंह:
डा. के. लक्ष्मण:
श्री दीपक प्रकाश:
श्री बृज लाल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 में देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) महामारी के बाद वर्ष 2021 से देश में कितने पर्यटक आए हैं और क्या भारत आने वाले समय में 100 मिलियन पर्यटकों के आगमन के आंकड़े तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है;

(ग) आगामी पांच वर्षों में देश में आने वाले पर्यटकों की अपेक्षित संख्या का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2021 से 2023 के दौरान देश में विदेशी पर्यटक आगमनों (एफटीए) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वर्ष	भारत में एफटीए (हजार में)
1.	2021	1527
2.	2022	6437
3.	2023 (जनवरी-सितम्बर) (अ)	6432

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो।

(अ): अनंतिम

पर्यटन मंत्रालय द्वारा कराए गए 'भारत तथा कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां' नामक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2024-25 तक घरेलू पर्यटन के महामारी से पूर्व के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आप्रवासन

ब्यूरो (बीओआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2024 तक विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) के महामारी से पूर्व के स्तर पर पहुंचने की आशा है।

(ग) और (घ): इस प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है तथापि पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाए/पहलें की हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. अपने देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरुकता फैलाने और उन्हें अपने देश की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई।
ii. बेहतर मानक सेवा मुहैया कराने के लिए श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन के लिए 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन।
iii. अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल शुरु की गई है जिसका लक्ष्य पर्यटकों की सहायता हेतु देश भर में सुप्रशिक्षित एवं पेशेवर व्यावसायिक पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म बनाना है।
iv. 24x7 टॉल फ्री बहु-भाषी पर्यटक हेल्पलाइन।
v. ई-वीजा वर्तमान में सात उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेंट वीजा के तहत उपलब्ध हैं। ई-पर्यटक वीजा तीन विकल्पों के तहत उपलब्ध हैं- (i) अनेक प्रविष्टियों के साथ 5 वर्ष; (ii) अनेक प्रविष्टियों के साथ 1 वर्ष और (iii) दोहरे प्रवेश के साथ एक माह।
vi. ई-वीजा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीजा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।
vii. देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पर्वत चोटियों को खोला गया है।
viii. जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने होटल के कमरों के टैरिफ पर कर की दर में कटौती की घोषणा की जिसका लक्ष्य आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 7,500 रु. तक के प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को मौजूदा 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। इसी प्रकार 7,501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रति रात्रि 1000 रु. के कम के टैरिफ वाले कमरों पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा।
ix. आरसीएस उड़ान योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 53 पर्यटन रूटों पर प्रचालन शुरू किया है।

*****